

भारत सरकार के सेवा में आरक्षण के लिये पिछड़े वर्ग (क्रिमी लेयर) का आवेदन-पत्र का प्रपत्र

(इस प्रपत्र में आवेदन देना है)

सेवा में,

.....
.....

महोदय,

मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य केन्द्रीय सेवा में आरक्षण से संबंधित पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण-पत्र देने की कृपा की जाय।

मेरे बारे में आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है:

1. आवेदक का नाम :-
2. जन्म तिथि :-
3. आवासीय पता : (पूर्ण)

(क) स्थाई - ग्राम/मुहल्ला	पोस्ट	
थाना	जिला	
वार्ड नं०	सर्किल नं०	हो० नं०
(ख) अस्थायी - ग्राम/मुहल्ला	पोस्ट	
थाना	जिला	
वार्ड नं०	सर्किल नं०	हो० नं०
4. धर्म :-
5. जति :-
6. उप-जाति :-
7. पेशा :-
8. केन्द्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक सं० :-
9. पिमा का नाम :-
10. माता का नाम :-
11. पति का नाम :-
12. अभिभावक/पिता/पति की स्थिति

पिता	माता	पति
------	------	-----

 - (क) 1. संवैधानिक पद
 2. पदनाम :-
 3. सरकारी सेवा (केन्द्र/राज्य)
 4. पदनाम :-
 5. वेतनमान :-
 6. नियुक्ति की तिथि :-
 7. उम्र प्रथम श्रेणी में प्रोन्नति के समय (अगर लागू हो)
 - (ख) अन्तर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित

जैसे - यूनिसेफ/यू०एन०/डब्लू०एच०ओ०

 1. संगठन का नाम :-
 2. पदनाम :-
 3. सेवा का नाम तिथि.....सेतक।

(ग) निजी क्षेत्र में नियोजित के लिए :-

1. संगठन/फर्म का नाम :-
2. पदनाम :-
3. नियुक्ति की तिथि :-

(घ) आर्मस फोर्स/कारा मिलिट्री के लिए :-

1. पदनाम :-
2. वेतनमान :-

(ड0) व्यवसायों के लिए :- पिता माता पत्नी

1. पेशा :-

(च) सम्पत्ति का विवरण :-

पिता/माता/अवश्यक बच्चों के नाम :

1. पता :-
2. क्षेत्रफल :-
3. (क) असिंचित :-
(ख) सिंचित :-
4. सिंचित जमीन का प्रतिशत :-
(बिहार सरकार के सिंचित कानून के अन्तर्गत)
(विवरण अंचलाधिकारी से सत्यापित होना चाहिए)
5. कुल सिंचित/असिंचित जमीन :-

(छ) प्लांटेशन :-

1. फसल/फल :-
2. पता :-
3. क्षेत्रफल :-

(ज) परती जमीन/भवन (शहरी क्षेत्र के लिए)

1. सम्पत्ति का स्थान :-
2. सम्पत्ति का विवरण :-
3. सम्पत्ति का क्या इस्तेमाल होता है :

(झ) आय :

1. वार्षिक आय (नौकरी, पेंशन, व्यवसाय या कृषि से आय)
2. क्या कर भुगतान करते हैं, अगर हाँ तो तीन वर्षों का रिटर्न का प्रति प्रस्तुत करें) :
3. क्या सम्पत्ति कर के अन्तर्गत हैं (अगर हाँ तो पूर्ण विवरण दें)

(ट) कुछ अन्य बातें :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य हैं और पूर्ण विश्वास है कि मैं किमी लेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम हूँ । अगर कोई सुचना गलत पाया गया तो मेरी पुत्र/पुत्री का नियोजन रद्द किया जा सकता है या कानून के नियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर